मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या-153/2020 (एम.ए.सी.पी. सं. 155/2017)
श्रीमती राम श्री आदि बनाम प्रेमचन्द्र आदि
<u>03.10.2020</u>

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती रामश्री एवं प्रिन्स कुशवाहा नाबालिग जरिये दादी एवं संरक्षिका श्रीमती रामश्री द्वारा इस आशय से दाखिल किया गया है कि याचिका सं. 155/2017, में दो सावधि जमायें SBP 092452 दिनाँक 21.07.2018-21.07.2021 जमा धनराशि ₹ 1,26,292 व SBP 440607 दिनाँक 17.03.2020-17.03.2023 जमा धनराशि ₹ 1,28,168 तथा याचिका सं. 153/2017, में सावधि जमा SBP 092453 दिनाँक 21.07.2018-21.07.2022 जमा धनराशि ₹ 84,627 उसके नाम की हैं जिन्हे वह कृषि भूमि खरीदने हेतु तुडवाना चाहती जिससे वह भरण पोषण का साधन बना सके। यह भी प्रार्थना की गयी है कि उक्त धनराशि मे से ₹ 1,50,000 भूमि विक्रेता राजेश्वर के सेन्ट्रल बैंक मे खाता सं. 3311012605 IFSC- CBIN0280177 तथा शेष धनराशि उसके सिंडीकेट बैंक मे अवस्थित खाता सं. 92352010001398 IFC- SYNB0009235 मे स्थानांतरित कर दी जाए।

आधार पर्याप्त हैं किंतु भूमि विक्रेता राजेश्वर के खाते मे सावधि जमा SBP 092452 दिनाँक 21.07.2018-21.07.2021 जमा धनराशि ₹ 1,26,292 की धनराशि का स्थानांतरण बैनामे के तुरंत पश्चात बैनामा की प्रति दाखिल किए जाने पर किया जाना उचित होगा।

<u>आदेश</u>

सिन्डीकेट बैंक (वर्तमान में कैनरा बैंक) शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह याचिका सं. 155/2017, में सावधि जमा SBP 440607 दिनाँक 17.03.2020-17.03.2023 जमा धनराशि ₹ 1,28,168 तथा याचिका सं. 153/2017, में सावधि जमा SBP 092453 दिनाँक 21.07.2018-21.07.2022 जमा धनराशि ₹ 84,627 को तोड कर समस्त धनराशि सिंडीकेट बैंक मे अवस्थित खाता सं. 92352010001398 IFC- SYNB0009235 मे स्थानांतरित कर दी जाए।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.03 18:37:07 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI